रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 436] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 29, 1979/कार्तिक 7, 1901
No. 436] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 1979/KARTIKA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1979

आय-कर

का० आ० 607(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1980 को प्रवृत्त होंगे।

2. धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (viia) के प्रयोजनों के लिए संकलित औसत अग्रिमों की संगणना—आयकर नियम, 1962 में, नियम 6 क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'6कक. धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (viia) के प्रयोजनों के लिए, अनुसूचित बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए संकलित औसत अग्रिमों की संगणना निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रत्येक ग्रामीण शाखा द्वारा दिए गए अग्रिमों की वह रकम जो पूर्व वर्ष में समाविष्ट प्रत्येक मास के अंतिम दिन को परावेय है, पृथकतः संकलित की जाएगी ;

(ख) ऐसी प्रत्येक शाखा की बाबत इस प्रकार निकली रकम को, उन मासों की संख्या से विभाजित किया जाएगा जिनकी बाबत खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए परावेय अग्रिमों को लेखा में लिया गया है;

(ग) प्रत्येक ग्रामीण शाखा की बाबत इस प्रकार निकली रकमों की संकलित राशि वह होगी जो अनुसूचित बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों का संकलित औसत है।

स्पष्टीकरण—इस नियम में 'ग्रामीण शाखा' और 'अनुसूचित बैंक' का वही अर्थ होगा जो धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (viia) के स्पष्टीकरण में उनका है।'

[सं० 3046/फा० सं० 142(10)/79-टी० पी० एस०]

एस० एस० शिन्डे, सचिव
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

MINISTRY OF FINANCE
(Central Board of Direct Taxes)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 1979

INCOME-TAX

S.O. 607(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1980.

2. Computation of aggregate average advances for the purposes of clause (viia) of sub-section (1) of section 36.—In

the Income-tax Rules, 1962, after rule 6AB, the following rule shall be inserted, namely :—

'6ABA. For the purposes of clause (viia) of sub-section (i) of section 36, the aggregate average advances made by the rural branches of a scheduled bank shall be computed in the following manner, namely :—

(a) the amounts of advances made by each rural branch as outstanding at the end of the last day of each month comprised in the previous year shall be aggregated separately ;

(b) the sum so arrived at in the case of each such branch shall be divided by the number of months for which the outstanding advances have been taken into account for the purposes of clause (a) ;

(c) the aggregate of the sums so arrived at in respect of each of the rural branches shall be the aggregate average advances made by the rural branches of the scheduled bank.

Explanation.—In this rule, "rural branch" and "scheduled bank" shall have the meanings assigned to them in the Explanation to clause (viia) of sub-section (1) of section 36.'

[No. 3046/F. No. 142(10)/79-TPL]
S. N. SHENDE, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979